.... बनाम ....

.... प्रकरण संख्या................................

किस्म मुकदमा................................/................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म
28.11.18	वकुलाय फरीकेन हाजिर। आज श्रीमान पीठा० चुनावी कार्य से बाहर है अत: मिसल तारीख 31.01.19 को पेश हो। [signature]	
31.01.19	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। मूल वाद में संशोधित शीर्षक पेश किया गया है। बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा ब्लाक के अविभाजित खातेदारी ख. नं. 619 रकबा 11.10 हैं०, खा. नं. 620 रकबा 16.70 हैं० प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी भूमि आई हुई है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अत: जवाब बंद किया जाता है। चूँकि वादग्रस्त आराजी सामलाती आराजी होने से सहखातेदारों का प्रत्येक खसरा पर ~~का~~ हिस्सा अनुसार समान हक बनता है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक वाद बाबत विभाजन खातेदारी का न्यायालय हाजा में विचाराधीन	

..... बनाम .....

कस्म मुकदमा..... प्रकरण संख्या...../.....

रीख क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है, जो साक्ष्य तनकीयार पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित हो सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का कतई अधिकारी नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner